# फर्द अहकाम

व

रामेश्वर बनाम हनुमान व अन्य

संख्या /वर्ष (विविध प्रा॰ पत्र) 40 /2019

| दिनांक आज्ञा या कार्यवाही | आज्ञा विस्तृत रुप से | विशेष विवरण |
|---|---|---|
| 09/02/24 | अभिलिखित हिस्से 2/15 के सम्मुख अंकित "दर हिस्सा 1/5" को दुरुस्त कर विलोपित किए जाने के आदेश दिए जाते है। तहसीलदार सांगानेर को तदनुसार तहरीर जावे है। निर्णय सुनाया गया। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर संलग्न है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बरान से कम हो। बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।<br>उपखण्ड अधिकारी<br>जयपुर द्वितीय (सांगानेर) | |

Signature Not Verified

Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2025.02.06 15:50:29 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखंड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

पीठासीन अधिकारी : श्री महीपाल सिंह, आर.ए.एस.
प्रार्थनापत्र सं. : 40/2019
निर्णय दिनांक : 09.02.24

रामेश्वर पुत्र हेमराज जाति-कुमावत
ग्राम बगरूकलां, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर
- प्रार्थी

बनाम

1. हनुमान पुत्र स्व. मंगलराम
2. जयराम पुत्र स्व. मंगलराम
3. रामदयाल पुत्र स्व. मंगलराम
4. रामचन्द्र पुत्र स्व. मंगलराम
समस्त जाति कुमावत, निवासी ग्राम बगरूकलां तह. सांगानेर जिला जयपुर
5. भूरी देवी पुत्री स्व. मंगलराम पत्नि गोपाल
6. रामा देवी पुत्री स्व. मंगलराम पत्नि रूडमल
समस्त जाति कुमावत, नि. ग्राम बोराज तह. दूदू जिला जयपुर
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील सांगानेर जिला जयपुर
- अप्रार्थीगण

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 136 राज. भू. राजस्व अधि.

## निर्णय

प्रार्थी की ओर से ग्राम बगरूकलां तह. सांगानेर जिला जयपुर स्थित भूमि आ.ख.नं. 3648, 3665, 3671, 3672, 3666/8123, 3667/8124, [illegible]8/[illegible]5, 3648/8186 कुल खसरा किता 8 कुल रकबा 6.65 है. के संदर्भ में प्रस्तुत कर अभिकथन किया गया है कि उक्त वर्णित भूमि के हिस्सा 1/5 की खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड में बाबू पुत्र नाथू जाति कुमावत निवासी - ढाणी ऊँचा मगरा, [illegible] तहसील सांगानेर जिला जयपुर के नाम दर्ज थी। बाबू पुत्र नाथू [illegible] सम्पूर्ण कृषि भूमि को प्रार्थी [illegible] एक हिस्सा [illegible] 6 के पिता मंगलराम (हिस्सा 2/3) को [illegible] अप्रार्थीगण स.01 [illegible] दिनांक 31.01.95 के जरिये रजिस्टर्ड विक्रय [illegible] विक्रय कर दी गई। जिसके मुताबिक [illegible] रामेश्वर व अप्रार्थीगण सं. 01 ता 06 के पिता मंगलराम का [illegible] जरिये नामांतकरण सं. 113 दिनांक 18.04.95 के राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में दर्ज हो गया, किन्तु रामेश्वर हिस्सा 1/5 व मंगलराम

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2025.02.06 15:50:29 IST
Reason: SelfAttested

हिस्सा 2/15 के नाम के आगे सहवन से दर हिस्सा 1/5 दर्ज हो गया। अप्रार्थी सं. 07 के राजस्व कर्मचारियों द्वारा सहवन से भूमि के राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी व नामांतकरण में दर हिस्सा 1/5 दर्ज कर दिया गया है। जो दुरुस्त किया जाकर हजफ किये जाने योग्य है। राजस्व कर्मचारियों द्वारा अनुचित आधार पर वाद ग्रस्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में दर हिस्सा 1/5 दर्ज कर दिया गया है जो गलत व अधिकारिता से बाहर जाकर किया गया कृत्य है। जिसको दुरुस्त किया जाना न्यायहित में आवश्यक है।

अत: प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर वाद अधीन भूमि आ.ख.नं. 3648, 3665, 3671, 3672, $\frac{3666}{8123}$, $\frac{3667}{8124}$, $\frac{3668}{8125}$, $\frac{3648}{8186}$ कुल खसरा किता 8 कुल रकबा 6.65 है. वाके ग्राम बगरूकलां तह. सांगानेर जिला जयपुर के राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी व नामांतकरण (सं. 113) में मंगलराम पुत्र हेमाराम हिस्सा 2/15, रामेश्वर पुत्र हेमाराम हिस्सा 1/15 के आगे सहवन से दर्ज दर हिस्सा 1/5 को दुरुस्त करके हजफ किए जाने का आदेश पारित फरमाया जावे।

प्रार्थी की ओर से अपने प्रा॰पत्र के संदर्भ / समर्थन में निम्न दस्तावेजात पेश किए गए –

1. प्रमाणित / सत्यापित प्रति जमाबंदी संवत 2062-2065 वास्तविक सम्वत 2062 दिनांक 01.02.2007
2. प्रमाणित / सत्यापित प्रति जमाबन्दी संवत 2066-2069 वास्तविक सम्वत 2066 दिनांक 21.04.11
3. छाया प्रतिलिपी नामांतकरण सं. 113 दिनांक 18.04.95
4. विक्रय पत्र दिनांक 27.01.95 की प्रमाणित प्रति।

प्रार्थी का प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत करने बाबत नोटिस जारी किए गए। जारी नोटिसों के क्रम में अप्रार्थीगण सं. 01 ता 06 की ओर से दिनांक 16.08.19 को जरिये अधिवक्ता उपस्थिति प्रस्तुत की गई। उपस्थिति दिनांक 16.08.19 के क्रम में निरन्तर अवसरों उपरान्त भी जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं करते हुए दिनांक 01.02.24 को अप्रार्थीगण 01 ता 06 के मय अधिवक्ता अनुपस्थित रहने पर अप्रार्थीगण 01 ता 06 के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किए गए तथा अप्रार्थी ... की ओर से प्राप्त जवाब प्रा.पत्र शामिल पत्रावली ... 12.01.24 को ... अप्रार्थी 07 किया जाकर प्रकरण में प्रार्थी ... रिपोर्ट अनुसार तहसीलदार सांगानेर की ओर से ... से प्रार्थी का हिस्सा नामांतकरण सं. 113 में दर हिस्सा 1/5 दर्ज ... अशुद्ध होना तस्दीक / स्वीकार किया गया। जिसके क्रम में प्रार्थी की बहस सुनी जाकर प्रस्तुत दस्तावेजात का भी अवलोकन किया गया।

P.T.O.

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2025.02.06 15:50:29 IST
Reason: SelfAttested

रामेश्वर बनाम हनुमान व अन्य
प्रा.पत्र सं. 40/2019

हमने प्रार्थी की बहस सुनी, तथ्यों पर मनन किया व प्रस्तुत दस्तावेजात तथा तहसीलदार रिपोर्ट का अवलोकन किया। प्रार्थी के प्रस्तुत साक्ष्य दस्तावेज विक्रयपत्र दिनांक 27.01.95, नामांतकरण प्रविष्टि सं. 113 व जमाबंदी में दर्ज प्रार्थी व अप्रार्थीगण 1 ता 6 के पूर्वज मंगलाराम के हिस्से के पारस्परिक तुलनात्मक अध्ययन व विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी व नामांतकरण प्रविष्टि में प्रार्थी व अप्रार्थीगण 01 ता 06 के पूर्वज मंगलाराम के अंकित हिस्से 1/15 व 2/15 के आगे "दर हिस्सा 1/5" सहवन से अंकित किया गया है। जिसे दुरुस्त किया जाना न्यायोचित है। अतः न्यायहित के इस्तिगासा प्रा.पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी व अप्रार्थीगण 01 ता 06 के पूर्वज मंगलाराम के अभिलिखित हिस्से 1/15 व 2/15 के सम्मुख अंकित "दर हिस्सा 1/5" को दुरुस्त कर विलोपित किए जाने के आदेश दिए जाते है। तहसीलदार सांगानेर को तदनुसार तहरीर जारी हो।
निर्णय आज दिनांक 09.02.24 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2025.02.06 15:50:29 IST
Reason: SelfAttested